

प्रारूप-छ (संलग्नक-6)**अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र (पूर्णता (कम्प्लीशन) अनापत्ति प्रमाणपत्र)****यूआईडी संख्या : UPFS/2020/24922/KSN/KUSHI NAGAR/189/CFO****दिनांक : 10-10-2022**

प्रमाणित किया जाता है कि मेसर्स **H S GLOBAL ACADEMY** पता **ARAZI NO-267, BHAISAHI BAZAR, HATA** तहसील - **HATA** प्लॉट एरिया **8210 sq.mt** (वर्गमीटर), कुल कवर्ड एरिया **3910.50** (वर्ग मीटर), ब्लॉकों की संख्या - **1** जिसमें -

ब्लॉक/टावर	प्रत्येक ब्लॉक में तलों की संख्या	बेसमेंट की संख्या	ऊँचाई
SCHOOL	2	0	8.20 mt.

है। भवन का अधिभोग मेसर्स **H S GLOBAL ACADEMY** द्वारा किया जा रहा है। इनके द्वारा भवन में अग्नि निवारण एवं अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाएं, एन0बी0सी0 एवं तत्संबंधी भारतीय मानक ब्यूरो के आई0एस0 के अनुसार भवन में स्थापित करायी गयी व्यवस्थाओं का निरीक्षण **अग्निशमन अधिकारी** द्वारा दिनांक **12-10-2022** को भवन स्वामी/भवन स्वामी के प्रतिनिधि श्री **SUSHIL KUMAR SINGH** के साथ किया गया। भवन में अधिस्थापित अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाएं मानकों के अनुसार अधिस्थापित पायी गयी। अतः प्रश्रुत भवन को अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र (फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट) एन0बी0सी0 की अधिभोग श्रेणी **Educational** के अन्तर्गत वैधता तिथि **14-10-2022 से 13-10-2025** तक **3 वर्षों के लिए इस शर्त के साथ निर्गत किया जा रहा है कि** भवन में नियमानुसार स्थापित सभी अग्निशमन व्यवस्थाओं का अनुरक्षण करते हुए क्रियाशील बनाये रखा जायेगा। भवन में स्थापित की गयी अग्निशमन व्यवस्थाओं में पायी गयी कमी के कारण किसी भी घटना के लिए मेसर्स **H S GLOBAL ACADEMY** अधिभोगी पूर्ण रूप से जिम्मेदार होगा/होंगे। निर्गत अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र का नवीनीकरण निर्धारित समयावधि के अन्दर न कराये जाने पर निर्गत अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र स्वतः ही निरस्त मान लिया जायेगा, जिसके लिए मेसर्स **H S GLOBAL ACADEMY** अधिभोगी पूर्ण रूप से जिम्मेदार होगा/होंगे।

Note : 01 प्रत्येक 06 माह में फायर/इवेक्शन माकड्रिल, अग्निशमन प्रशिक्षण कराते हुये रिकोर्ड रखें, सम्बन्धित फायर स्टेशन प्रभारी अग्निशमन अधिकारी समय- समय पर स्थापित अग्निशमन व्यवस्थाओं का निरीक्षण/परीक्षण करते रहें।

02 प्रस्तुत मानचित्र में उल्लेखित भवन के अतिरिक्त निर्माण हेतु अलग से विभागीय स्वीकृति ली जाये।

03 भवन में एन0बी0सी0/आई0एस02190 के अनुसार अग्निशमन उपकरण स्थापित एवं हमेशा कार्यशील दशा में रखें।

04- भवन का एन0ओ0सी0 संशोधित शासनादेश संख्या-187/छः-पु0-8-2022/905(34)/2016 टी0सी0 दिनांक 07.01.2022 के अनुसार निर्गत किया जाता है।

"यह प्रमाण-पत्र आपके द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों, सूचनाओं के आधार पर निर्गत किया जा रहा है। इनके असत्य पाए जाने पर निर्गत प्रमाण-पत्र मान्य नहीं होगा। यह प्रमाण-पत्र भूमि / भवन के स्वामित्व / अधिभोग को प्रमाणित नहीं करता है।"

**मुख्य अग्निशमन अधिकारी**

(डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित)

JASVEER SINGH

89C53FD40E1570902F78776FE92F58F4E0B3D2E7

14-10-2022

निर्गत किये जाने का दिनांक : 14-10-2022**स्थान : KUSHI NAGAR**

Note:- Kindly check the authentication of NOC by verifying the UID at departmental portal of UP Fire Service.